न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्याः–277/18

1. रामचन्द्र पुत्र लादू गुर्जर,
2. गिरधारी पुत्र सूजाराम गुर्जर,
3. नन्छू पुत्र सूजाराम गुर्जर,
4. ग्यारसीलाल पुत्र सूजाराम गुर्जर, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दलेर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––अपीलार्थीगण

बनाम

1. बोदूराम पुत्र छीतरमल गुर्जर,
2. जगदीश पुत्र छीतरमल गुर्जर,
3. रामेश्वर पुत्र देबूराम गुर्जर,
4. कमलेश पुत्र देबूराम गुर्जर, समस्त जाति गुर्जर, निवासी ग्राम दलेर, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 22.10.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 28.05.2016 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि उक्त प्रकरण की पत्रावली वास्ते पुनः रिपोर्ट हेतु नियत थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के स्तर पर रिपोर्ट तैयार कर पत्रावली में शामिल कर उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली को कैम्प कोर्ट जयचन्दपुरा में रखे जाने के सम्बन्ध में अपीलार्धीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना अथवा नोटिस प्रेषित नही किया गया इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अपीलान्ट विवादित आराजी भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार पर कोई प्रभाव डालने वाले आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2018 को तहसीलदार जमवारामगढ को विवादित आराजी भूमि की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया था लेकिन तहसीलदार द्वारा मौके पर उपस्थित हुये बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर मौका रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोर्ट कैम्प में रिपोर्ट प्रस्तुत करदी गई तो अधीनस्थ न्यायालय ने भी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट के

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

प्रार्थना पत्र को उनके हक में बिना अपीलार्थीगण की सुनवाई किये निर्णित फरमा दिया गया इसलिये भी अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आलौच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.12.2017 को जो मौका रिपोर्ट तहसीलार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी उसके पैरा संख्या 3 में कथन किया गया है कि वादीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 253/1/3 व 253/1/2 के हाल खसरा नम्बर 279, 279/305, 280, 280/306 पर वादीगण पूर्व नक्शा अनुसार काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 283 की पश्चिमी मेड़ से लगती हुई है, अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 283 के साबिक खसरा नम्बर 253/1 की साबिक नक्शा में उत्तर एवं पश्चिम की मेड़ की लाईने डबल (दो–दो) है, जो कटी हुई है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बरों के हाल नक्शा साबिक नक्शा के अनुसार है जो कि हल्का पटवारी के पास हाल नक्शा में दो–दो लाईने कटी--फटी नही है, नक्शा पूर्णतया दुरूस्त एवं साफ सुथरा है, इसिलये हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आपस में ही विरोधाभाषी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर भी कोई गौर नही कर उक्त आलौच्य निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.05.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 253/1/3, खसरा नम्बर 253/1/2 के नवीन खसरा नम्बर 279, 279/305, खसरा नम्बर 280, 280/306 पर पूर्व नक्शा अनुसार काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि से लगते अपीलार्थीगण कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 283 को राजस्व नक्शे में रकबा बढा कर रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 280 का रकबा कम कर अंकित कर दिया गया है तथा रेस्पोडेन्ट के नवीन खसरा नम्बर 279, 280 को नवीन नक्शे में वास्तविकता से परे रकबा कम कर दर्शाया है, नक्शे में हाल सैटलमेन्ट में खसरा नम्बर 280 का रकबा कम कर अपीलान्ट का खसरा नमबर 283 का रकबा बढाकर अवैध रूप से अंकित कर दिया गया तथा खसरा नम्बर 279/305 व 280/306 गै0मु0 सड़क अवैध रूप से अंकित कर दिया गया है जो कि मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने कथन किया है कि नवीन खसरा नम्बर 279, 279/305, 280, 280/306 मौके पर कृषि भूमि है तथा खसरा नम्बर 283 का रकबा बढ़ा कर अंकित किया गया है जिसमें सैटलमेन्ट विभाग ने अवैध रूप से खसरा नम्बर 280 की कब्जे काश्त की भूमि को अंकित नही कर नवीन खसरा नम्बर 283 का अंकन कर दिया है जबकि मौके पर खसरा नम्बर 283 के उत्तरी भाग पर खसरा नम्बर 280 स्थित है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट ने उक्त राजस्व नक्शे में हो रही त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु कई बार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को निवेदन किया पर वे हमेशा टालमटोल करते रहते है तथा दिनांक 09.05.2017 को जब अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट की भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे तो रेस्पोडेन्ट के द्वारा रोकने पर झगड़ा करने को आमादा हो गये कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नक्शे मे हमारे नाम अंकित है, हम इसकी पत्थरगढी करवाकर इस पर कब्जा करके रहेगें तथा तुम्हे बेदखल करके रहेंगे जिस तहसीलदार के समक्ष निवेदन करने पर प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार का नही होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब करके ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न तहसीलदार जमवारामगढ की रिर्पोट दिनांक 28.05.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 280 रकबा 1.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 280/306 रकबा 0.24 हैक्टयर ग्राम दलेर में बोदूराम, जगदीश पि0 छीतरमल, जाति गुर्जर राहिन एस.बी.बी.जे. के नाम व खसरा नम्बर 279 रकबा 1.75 हैक्टयर, खसरा नम्बर 279/305 रकबा 0.14 हैक्टयर ग्राम दलेर में रामेश्वर कमलेश पि0 देबूराम, जाति गुर्जर राहिन पीएनबी गठवाडी शामलाती खातेदारी कृषि भूमि है तथा बोदूराम, जगदीश पि0 छीतरमल की हाल खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 280 व 280/306 का साबिक खसरा नम्बर 253/1/2 तथा रामेश्वर कमलेश पि0 देबूराम की हाल खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 279 एवं 279/305 का नक्शा (मोमिया) में लाल स्याही से तरमीमशुदा है, इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट की हाल खातेदारी खसरा नम्बर 283 रकबा 3.80 हैक्टयर के साबिक खसरा नम्बर 253/1 भी साबिक नक्शा में लाल स्याही से तरमीमशुदा है एवं हाल नक्शा में मौजूद वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 279, 279/305, 280/306 एवं 280 की तरमीम अंकित है व तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट मे पक्षकारान के बने खसरा नम्बरान की साबिक एवं हाल नक्शें की रकबा बरारी करते हुये एवं खसरा नम्बरान का मुताबिक जमाबन्दी रकबा पूर्ण करते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित माना है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ने भी अपीलाधीन आदेश द्वारा विवादित आराजी के चारों तरफ सरकारी भूमि होने के कारण विवादित आराज़ीयात की मुताबिक साबिक एवं हाल रिकार्ड नक्शे की रकबा बरारी करते हुए पक्षकारान की भूमि मुताबिक जमाबन्दी पूर्ण करने के पश्चात् नक्शा दुरूस्त किये जाने के ही आदेश पारित किये गये है जिसमें किस प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।